संख्या-02/2016/142/52-2-16-2(57)/16

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज, हापुड,जौनपुर ,एटा, अलीगढ, बस्ती, चन्दौली, कानपुर देहात, मथुरा।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2016

विषय-अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1146/व0आ0-31(88)/2016 दिनांक 20-01-2016, पत्र संख्या-1113/व0आ0-31(83)/2014 दिनांक 05-01-2016, पत्र संख्या-1114/व0अ0-31(88)/2014 दिनांक 05.01.2016, पत्र संख्या-1102/व0अ0-31(88)/2014 दिनांक 28.12.2015, पत्र संख्या-1131/व0अ0-31(88)/2016, दिनांक 15.01.2016, पत्र संख्या 1132/व0अ0-31(88)/2016 दिनांक 18.01.2016, पत्र संख्या 1135/व0अ0-31(88)/2016 दिनांक 18.01.2016 तथा जिलाधिकारी बस्ती का पत्र संख्या-1036/अ0स0क0/कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि/2015-16 दिनांक 13.12.2015, जिलाधिकारी कानपुर देहात का पत्र संख्या- 353/अ0स0क0/उ0प0प्र0कब्रि0/2014-15 दिनांक 26.12.2015, जिलाधिकारी मथुरा का पत्र संख्या-347/अ0स0क0(204-15)/दिनांक 06.01.2016 जिलाधिकारी चन्दौली का पत्र संख्या सी0-7119/अ0स0क0/कब्रिस्तान चहारदीवारी/2015-16 दिनांक 05.01.2016 तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हापुड् का पत्र संख्या-545/अ0स0क0/च0दी0/उपभोग/2015-16 दिनांक 05.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 की 50 प्रतिशत प्रथम/द्वितीय किश्त की कुल धनराशि रू0 758.575 लाख (रूपये सात करोड अठ्वान लाख सत्तवन हजार पांच सौ मात्र) जो डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी है, को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पी0एल0ए0 से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी प्रश्नगत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे धनराशि के आहरण के पूर्व वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम किश्त व वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय किश्त से कराये गये कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2014-15 की पी.एल.ए. में रखी धनराशि अवमुक्त की जायेगी व अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जा रहे निर्माण कार्य की उपयोगिता/गुणवत्ता की नियमित समीक्षा अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यो की उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा गुणवत्ता से संबंधित आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

<u>जनपदों को अवमुक्त की जा रही धनराशि का विवरण :-</u>

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि धनराशि(रू0 लाख) में	डी0आर0डी0ए0 के पी0 एल0 ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	किश्त प्रथम /द्वितीय)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	कन्नौज	138.92	69.46	69.46	II
2	हापुड	180.30	90.15	90.15	II
3	जौनपुर	263.45	131.72	131.72	I
4	एटा	88.26	44.13	44.13	II
5	अलीगढ	343.96	171.98	171.98	I
6	बस्ती	199.65	99.82	99.82	II
7	चन्दौली	107.29	53.645	53.645	II
8	कानपुर देहात	94.30	47.15	47.15	II
9	मथुरा	109.33	50.52	50.52	II
	योग			रू0 758.575	

(रूपया सात करोड अठावन लाख सत्तावन हजार पांच सौ मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-195/दस-2016, दिनांक 16 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव ।

संख्या-/02/2016/142(1)/52-2-16तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

I- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज, हापुड., जौनपुर, एटा, अलीगढ, बस्ती, चन्दौली, कानपुर देहात, मथुरा।
6- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कन्नौज, हापुड., जौनपुर, एटा, अलीगढ, बस्ती, चन्दौली, कानपुर देहात, मथुरा।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।